न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 105/2012/(2012/00050) जिला–अजमेर

नादान सिंह पुत्र स्व0 श्री मोड सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. जस्सी पत्नी श्री भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर।
2. विनोद कंवर पत्नी श्री दातार सिंह, जाति राजपूत हाल निवासी म.न. 59, पंचशीलनगर, गणेश गुवाड़ी, सेक्टर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 16–02–2012
अन्तर्गत अपील संख्या 24/2011 बउनवान नादान सिंह बनाम जस्सी वगैरह

––––

उपस्थित– 1. श्री राम सुख चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः-16.02.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की खातेदारी काश्तकारी आराजियात ग्राम पदमपुरा में स्थित है जिसके खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 157 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि में से शेष 1/2 हिस्से के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 64/2010 बउनवान नादान सिंह बनाम श्याम सिंह व अन्य वास्ते उद्घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी ने विवादग्रस्त आराजियात में से 1/2 हिस्से के संबंध में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा गैर कानूनी रूप से पश्चातवर्ती बेनामें के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त आराजियात में से उपरोक्त 1/2 हिस्सा क्रय किया था जिसके आधार पर उसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज करवा लिया। उक्त इन्द्राजों को अपीलार्थी द्वारा नियमित राजस्व वाद के माध्यम से चुनौती दी जा चुकी है। उक्त वाद पत्र में प्रत्यर्थी जरिये अभिभाषक तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुकी है इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उप पंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आराजियात के संबंध में कोई मुकदमा दर्ज विवाद विचाराधीन होना नहीं बताते हुए विवादग्रस्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–2–2011 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को गैर कानूनी रूप से विक्रय कर दी तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नाम नामान्तकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 को तहसीलदार अजमेर से गैर कानूनी रूप से तस्दीक करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–2–2012 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष नियमित राजस्व वाद प्रत्यर्थी संख्या 2 व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजियात में अंकित इन्द्राजात को चुनौती दी जा चुकी है। उक्त वाद पत्र में वह जरिये अभिभाषक न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष दिनांक 26–10–2010 को उपस्थित हो चुकी थी जिससे वादपत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना उसकी व्यक्तिगत जानकारी में होते हुए भी उपपंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष मिथ्या कथन कर विक्रय की जाने वाली आराजी के संबंध में कोई विवाद विचाराधीन नहीं होना व्यक्त कर गैर कानूनी रूप से विवादग्रस्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय कर दी तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार अजमेर के समक्ष दस्तावेज दिनांक 25–2–2011 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हलका चाचियावास द्वारा दिनांक 25–2–2011 को नामान्तरकरण भर कर इसी दिनांक को प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर जिला कलक्टर अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार अजमेर के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर

कर संबंधित ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करना चाहिए था जिसको प्रथम 45 दिन में आवेदन पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार अजमेर के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के आधार पर तहसीलदार अजमेर ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 स्वीकृत कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि वह भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में विधिपूर्ण जांच करवाते। उक्त बिन्दु को नजरअन्दाज कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रथम अपील के संलग्न न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद के पैरा संख्या 2 की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि विवादित आराजियात में अपीलार्थी का पैतृक हिस्से अनुसार 1/2 हिस्सा पूर्वजों के समय से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है तथा शेष 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अपीलार्थी के स्व0 पिता मोड सिंह पुत्र बाग सिंह ने अपने सगे भाई नवल सिंह पुत्र बाग सिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14–3–75 एवं इसी प्रकार अपने सगे भाई किशन सिंह पुत्र बाग सिंह से उसका 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25–8–1973 को क्रय कर क्रय दिनांक से अपीलार्थी के पिता तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार आज दिनांक काबिज काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 जो कि पश्चातवर्ती क्रेता थी, ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–2–2011 को विक्रय की थी। उक्त पश्चातवर्ती विक्रय पत्रों के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम जो नामान्तरकरण संख्या 438 तस्दीक किया गया उसे जिला कलक्टर अजमेर को उक्त अपील के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था किन्तु उन्होंने विधि में वर्णित प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–2–2012 एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तहसीलदार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 64/2010 अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92 ए आर.टी.ए. का दिनांक 6–7–2010 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए का प्रकरण संख्या 77/10 इसी विवादित भूमि बाबत पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 को भी पक्षकार बनाया गया है। लेकिन उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। स्थगन आदेश जारी नहीं होने के कारण खातेदार द्वारा किये गये बेचान के आधार पर तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार अजमेर के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर कर संबंधित ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करना चाहिए था जिसको प्रथम 45 दिन में आवेदन पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार अजमेर के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु दिनांक 25–2–2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के आधार पर उक्त दिनांक को पटवारी हलका द्वारा भू.अ.निरीक्षक से जांच करवाई तथा भू.अ.निरीक्षक ने उसी दिन तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया, तहसीलदार अजमेर ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 स्वीकृत कर दिया जो संदिग्ध प्रतीत होता है जबकि वास्तविकता यह है कि पटवारी हलका को 45 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सीधे तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के यहां विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ, आर0.टी0ए 1955 के तहत [illegible] निर्णय दिनांक 2–12–2016 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें [illegible] किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को ग्राम पदमपुरा तह[illegible] अजमेर स्थित भूमि वर्किंग खसरा संख्या 157 रकबा 07–11–00 में अंकित [illegible] सिंह व किशन सिंह पुत्रान बाघ सिंह के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार अजमेर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जाकर प्रतिवादीगण को वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं अन्यत्र रहन बेचान मुन्तकिल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर डिक्री जारी की गई है। जब सहायक कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में उक्त विवादित आराजियात बाबत वाद विचाराधीन रहते तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जो विधिविरूद्ध एवं सन्देहास्पद प्रतीत होने से उनके द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–2–2012 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 24/2011 बउनवानी नादान सिंह बनाम जस्सी व अन्य तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 25–2–2011 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested